ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री उजागर सिंह	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती कुलविन्द्र कौंर	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अमनदीप ऐरी	01.04.13 से 14.5.15
2	श्री रणजीत कुमार	15.5.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
1	6	पंचायत राजस्व गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.23
2	7	खाता–ख से अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.84
3	8	अनुदानों को उपयोग न करना	14.81
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.83
5	10	पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक/स्टोर रजिस्टरों में दर्ज न करना	5.60

6	12	चुनाव पर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय	0.27
7	13	दुरूपयोग की गई राशि	0.04

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 09.09.2016 से 15.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 7/13, 9/14 व 9/15 तथा 12/13, 3/15 व 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275 दिनांक 12.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत देहलां अप्पर से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा के0सी0सी0वी0 मैहतपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 594449 दिनांक 14.9.2016 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमल–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	170414.62	253972	424386.62	130524	293862.62
2014–15	293862.62	200880	494742.62	120687	374055.62
2015–16	374055.62	132849	506904.62	176456	330448.62

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	513106.30	2905348	3418454.30	2295239	1123215.30
2014–15	1123215.30	1050376	2173591.30	1577843.30	595748
2015–16	595748	2490465	3086213	1605396	1480817

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को नियमानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खाते में ₹36839.88 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खाते मिलान करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i)	**दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत का अन्तशेष**	**₹330448.62**
(ii)	**दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों का अन्तशेष**	**₹1480817.00**
	कुल योग	**₹1811265.62**

अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	खाता संख्या	बैंक का नाम	निधि/शीर्ष	राशि	हस्तगत राशि	योग
1	20079006864	के0सी0सी0वी0 मैहतपुर	सभा/तृतीय वित्तायोग	1051773	311	1052084
2	06132010001750	ओ0बी0सी0 देहलां	योजना	621327.50	256	621583.50
3	50054936862	के0सी0सी0बी0 देहलां	वित्तायोग/ योजना	72	–	72
4	50052936503	के0सी0सी0बी0 देहलां	आई0ए0वाई0	441	–	441
5	0613219015144	ओ0वी0सी0 देहलां	वाटरशैड विकास निधि	173925	–	173925
			योग	**1847538.50**	**567**	**1848105.50**

अन्तर (₹1848105.50–1811265.62)=₹36839.88

4.2 रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 (i) रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा। परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की प्राप्ति को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु चार रोकड़ बहियां अलग से लगाई गई थी जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत देहलां अप्पर की रोकड़ बहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के दौरान की रोकड़ बहियों में न तो प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक शेष दर्शाया गया है व न ही प्रतिदिन व प्रत्येक माह का अन्तिम शेष दर्शाया गया है। शीर्षवार खाताबही भी तैयार नहीं की गई है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण वित्तीय स्थिति में दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2016 तक दर्शाए गए आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक दिन का आरम्भिक एवं अन्तिम शेष न दर्शाने व शीर्षवार खाताबही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व तुरन्त प्रभाव से रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.23 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

(क) सचिव ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹22875/– वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	66450	22550	89000	शून्य	89000
2014–15	89000	22875	111875	111875	शून्य
2015–16	शून्य	22875	22875	शून्य	22875

अतः गृहकर बकाया ₹22875/– की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 खाता (ख) के ब्याज ₹0.84 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता क में ₹83910/– को अन्तरित नहीं किया गया है जिसका औचित्य

स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता ख के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

वर्ष	योजना	आई0ए0वाई0	वाटरशैड	मनरेगा	योग ₹
2013–14	12804	222	11745	8280	33048
2014–15	23755	–	12577	854	37186
2015–16	11466	–	2210	–	13676
योग	**48025**	**222**	**26529**	**9134**	**83910**

8 अनुदान ₹14.81 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1480817 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.83 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2 (i to iii)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹482708 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹5.60 लाख के सामान को स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–3 (i to iv)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹560498.80 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उकत सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियाँ नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

ग्राम पंचायत देहलां अप्पर में संलग्न **परिशिष्ट–4** के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹217590 के मस्ट्रोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को निष्पादित करने हेतु किया गया लेकिन करवाए गए कार्यों के अनुमान/प्राकलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 चुनाव पर ₹0.27 लाख का अनाधिकृत एवं अनियमित व्ययः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान सभा निधि/तृतीय वित्तायोग की रोकड़ बही से निम्नानुसार चुनाव पर आए हुए कर्मचारियों को दोपहर एवं रात का भोजन करवाने की एवज में ₹27000 का भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	दुकानदार का नाम व पता	विवरण	राशि (₹)
1	21/31.12.15	मंगत राम हलवाई देहलां	चुनाव व्यय दोपहर व रात का भोजन (2x60x100)	12000
2	24/11.1.16	मंगत राम हलवाई देहलां	चुनाव व्यय दोपहर व रात का भोजन (2x75x100)	15000
			कुल योग	**₹27000**

हिमाचल प्रदेश पंचाती राज अधिनियम 2002 के नियमों में चुनाव पर व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है व चुनाव पर आए हुए कर्मचारियों को चुनाव विभाग द्वारा यात्रा व दैनिकी

भत्ते का भुगतान किया जाता है। फलस्वरूप चुनाव पर आए हुए कर्मचारियों को दोपहर व रात का भोजन करवाने के एवज में दर्शाया गया भुगतान अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान है। अतः उपरोक्त उल्लेखित चुनाव पर दोपहर व रात के भोजन पर व्यय दर्शाई गई राशि को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 ₹0.04 लाख का दुरूपयोगः—

जाँच के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 137047 दिनांक 18.8.15 द्वारा ₹4000 रिलायंस जियो इॅन्फारमेंशन लिमिटेड से प्राप्त की गई दर्शाई है। लेकिन उक्त प्राप्त की गई राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया है व न ही बैंक में जमा करवाई गई है, फलस्वरूप उक्त राशि का संदिग्ध दुरूपयोग किया गया है। उक्त दुरूपयोग की गई राशि के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282 दिनांक 15.9.16 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः उक्त राशि को रोकड़ बही व बैंक खाते में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उकत राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा नहीं किया गया। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक का उल्लेख नहीं था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 टी0डी0एस0 की कटौती न करनाः—

आयकर की धारा 194 (सी) में विहीत प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000/— से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000/— से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। जिसके कारण सरकारी कोष में टी0डी0एस0 के रूप

में बहुत हानि हुई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

16 (i) स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से एक उप समिति गठित करना अपेक्षित है। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 (3) की गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए। कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अपेक्षित है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय–11 के उप नियम 93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को फुट व ट्राली के रूप में गलत दर्शानाः–

ग्राम पंचायत देहलां अप्पर के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा,

बजरी, पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियां ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि को ट्राली इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है। जोकि कार्य नियमों को गम्भीर अवहेलना होने के साथ–साथ अव्यवहारिक एवं आपत्तिजनक है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा एवं पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही माप जा सकता है व ट्राली/फुट के रूप में मापन असम्भव है। यहां यह भी उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में निष्पादित किये जाते हैं।

18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी येजना के अर्न्तगत अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ग्रात पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख रखाव अपेक्षित है।

(i) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर

(ii) रोजगार रजिस्टर

ग्राम पंचायत देहलां अप्पर द्वारा उपरोक्त अभिलेख तैयार नही किया गया है जोकि उक्त नियमों की अवहेलना है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)

7	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

20 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

22 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(5) 17/2016–खण्ड–1–6558–6561 दिनाँकः 16.12.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.